

खाता दुरस्ती प्रार्थना-पत्र
(राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शिवगंज

प्र.नं - 45/2025

प्रार्थी
कमुभाराम पुग के साराम
जाति श्रीवागांव नि. जोरीला

बनाम

अप्रार्थी

1. तहसीलदार शिवगंज
2. मू-अभिलेख निरीक्षक श्रीवागांव
3. पटवारी पटवार हल्का श्रीवागांव

GCMS No. 2025/86

विषय:-भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एलआरएक्ट के तहत राजस्व रेकर्ड
दुरस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम श्रीवागांव की जमाबंदी संवत् 2075-78
खाता सं० 83 में तहसील ऑनलाईन होने से निम्नानुसार हुई त्रुटि को सही
करना फरमावे। महोदयजी राजस्व रेकर्ड ग्राम श्रीवागांव के खाता सं०
83 में मेरा नाम कमुभाराम पुग के साराम दर्ज है। मेरे अन्य स्त्रावेज
आधार कार्ड में मेरा नाम कमुभाराम पुग के साराम दर्ज है।
मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में कमुभाराम पुग के साराम दर्ज है।
कराने की कृपा करावे।

अतः उक्त आदेश दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

संलग्न:-जमाबंदी, पूर्व व नवीन, नक्शा,

भवदीय,



कमुभाराम पुग के साराम
जाति श्रीवागांव नि. जोरीला

रिपोर्ट पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक

वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 83 खसरा नं. 180 रकबा 1.4231 हेक्टर
में कछुआराम पुत्र केशाराम जाति शीख नि. जोरित्वा
सह खातेदार रजि. है। प्रथम पत्नी कछुआराम पुत्र केशाराम जाति सं.
7903 8971 7330 में कछुआराम पुत्र केशाराम जाति
शीख रजि. है। कछुआराम पुत्र केशाराम तथा कछुआराम पुत्र
केशाराम दोनों रकबा ही व्यापक है।

22/5/2025
पटवारी, कैलाशपुर

22/5/2025
भूअभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शिवगंज

पटवारी हल्का, छीवागांव एवं भू.अ.निरीक्षक, बुधमग की रिपोर्ट
अनुसार नाम शुद्ध की अनुशंसा की जाती है।

--आदेश--

22/05/2025
तहसीलदार, शिवगंज

प्रकरण सं०
बनाम

अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम की धारा 1956 के तहत

तहसीलदार जी, शिवगंज की अनुशंसा एवं संलग्न दस्तावेजों
की अनुसार ग्राम छीवागांव के खाता संख्या 83 में खातेदार
हृषण कछुआराम पुत्र केशाराम के स्थान पर कछुआराम
पुत्र केशाराम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार
शिवगंज आदेश की पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिराही)

क्रमांक/कोर्ट/2023/314
प्रतिलिपि पालनार्थ।

दिनांक 2/6/2024

तहसीलदार/उपतहसीलदार शिवगंज/कैलाशपुर

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिराही)